

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 252 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि.) जरिये  
प्राधिकृत अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र सिंह महलाना

रजि. कार्यालय:-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

**बनाम**

1. ओमप्रकाश खरेशिया पुत्र बीरबल सिंह निवासी ढाणी खरेशिया वाली, ग्राम भोपतपुरा, तहसील दांतारामगढ़ व जिला सीकर 332404
2. गजेन्द्र सिंह पुत्र बीरबल सिंह निवासी ढाणी खरेशिया वाली, ग्राम भोपतपुरा, तहसील दांतारामगढ़ व जिला सीकर 332404
3. भागोती देवी पत्नी रायसिंह डूडी जाति जाट निवासी वार्ड नं. 19, पलसाना तहसील दांतारामगढ़ व जिला सीकर 332404
4. रायसिंह डूडी पुत्र गोविन्दराम डूडी जाति जाट निवासी वार्ड नं. 19, पलसाना तहसील दांतारामगढ़ व जिला सीकर 332404


-अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002.**

**स्वीकृति आदेश**

दिनांक: 09 फरवरी, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः ओमप्रकाश खरेशिया पुत्र बीरबल सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्र बीरबल सिंह, भागोती देवी पत्नी रायसिंह डूडी व रायसिंह डूडी पुत्र गोविन्दराम डूडी की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में प्रथम बंधक सम्पत्ति अप्रार्थी राय सिंह डूडी के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड पट्टा न. 4119

  
(मुकुल शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 188.16 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में भागोती देवी का मकान, पश्चिम दिशा में चौक व रास्ता, उत्तर दिशा में मदनलाल का मकान व निजी चौक एवं दक्षिण दिशा में मोहनलाल नटवाड़िया है। एवं द्वितीय बंधक सम्पत्ति अप्रार्थी भागोती देवी के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड पट्टा न. 4121 ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 162.68 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में स्वयं का बाड़ा, पश्चिम दिशा में रायसिंह का मकान, उत्तर दिशा में रास्ता व मदनलाल का मकान एवं दक्षिण दिशा में मोहनलाल नटवाड़िया है। उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर कुल ₹15,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये पन्द्रह लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 09.04.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री बजरंगलाल शर्मा उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण के भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 09.04.2025 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण

(मुकुल शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **ओमप्रकाश खरेशिया पुत्र बीरबल सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्र बीरबल सिंह, भागोती देवी पत्नी रायसिंह डूडी व रायसिंह डूडी पुत्र गोविन्दराम डूडी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **राय सिंह डूडी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड पट्टा न. 4119** ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल **188.16** वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में भागोती देवी का मकान, पश्चिम दिशा में चौक व रास्ता, उत्तर मदनलाल का मकान व निजी चौक एवं दक्षिण दिशा में मोहनलाल नटवाड़िया है। व अप्रार्थी **भागोती देवी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड पट्टा न. 4121** ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल **162.68** वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में स्वयं का बाड़ा, पश्चिम दिशा में रायसिंह का मकान, उत्तर दिशा में रास्ता व मदनलाल का मकान एवं दक्षिण दिशा में मोहनलाल नटवाड़िया है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 09 फरवरी, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
 (मुकुल शर्मा)  
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर